श्रम विभाग

शुद्धि-पत्र

दिनांक 21 जून, 1986

क्रमांक II(157)81-2श्रम.—हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक II(157)81-2श्रम दिनांक 4 अप्रैल, 1986 में क्रम संख्या 32 में श्रम निरीक्षक सर्कल I पानीपत के सामने दिखाई गई अधिकारिता सीमा में शब्द "देजली" के स्थान पर शब्द "देहली" पढ़ा जाये ।

कुलवन्त सिंह,

वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम एवं रोजगार विभाग ।

राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 27 जून, 1986

क्रमांक 620-ज-(I)-86/19323.—श्री अमर सिंह, पुत्र श्री विशन सिंह, गांव मिलक माजरा, तहसील जगाधरी, जिला अम्बाला, की दिनांक 27 नवम्बर, 1979, को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(I) तथा 3(I)(ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री अमर सिंह को मुद्रित 200 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 4252-र-(III)-70/11740, दिनांक 3 अगस्त, 1970, अधिसूचना क्रमांक तथा 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती स्वर्ण कौर के नाम खरीफ 1980 से 400 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं ।

सोम नाथ,
अवर सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग ।

श्रम विभाग

आदेश

दिनांक 27 जून, 1986

सं० ओ०वि०/हिसार/63-84/21917.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि (2) कृषि विश्वविद्यालय हिसार हैड पशु विभाग उत्पादन तकनीकी कालिज आफ पशु विज्ञान कृषि विश्वविद्यालय हिसार, के श्रमिक श्री रामेश्वर मार्फत मजदूर एकता यूनियन नागौरी गेट हिसार तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखा जाने में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 9641-I-श्रम-78-32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970, के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला हैं या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री रामेश्वर, पुत्र श्री की माडू राम सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?